बिहार विधान सभा वादवृत्त

मङ्गलवार, तिथि ४ अप्रैल १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने में मंगलवार, तिथि ४ अप्रैल १९५० को ११ बजे पुर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा का शपथ ग्रहण
Oath of allegiance to the constitution of India

माननीय अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्यों ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली वे अब शपथ ग्रहण करें।

निम्न लिखित सदस्य ने शपथ ली:—

१ श्री माईकेल जान,	जमशेदपुर, फैक्टरी लेबर।
२ श्री पुरुषोत्तम चौहान,	उत्तर मानभूम, साधारण ग्रामीण।

तारांकित प्रश्नोत्तर
STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

१९४२ के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति।

*२००। श्री झूलन सिंह : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सारन जिले के कटैया थाने के श्री सूर्यप्रसाद राय और बरौली थाने के श्री बांके लाल का मकान १९४२ के आन्दोलन में जला

(2) No citiben shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to—

(a) access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainments; or.

(b) the use of wells, tanks, bathing ghat, roads and places of public resorts maintained wholly or partly out of State funds or dedicated to the use of the general public

(3) Nothing is this article shall prevent the State from making any special provision for women and children."

(ख) क्या सरकार ने Criminal Tribes Act विधान की इन धाराओ के विरुद्ध माना है ;

(ग) अगर खण्ड (ख) का उत्तर हां में हो तो क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि सी० टी० ऐक्ट भारतीय विधान की Articles 13 (1) के अनुसार void है, जिसमें कहा गया है कि—

" All laws in force immediately before the commencement of this Constitution in the territory of India in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void." ?

माननीय श्री कृष्णबल्लभ सहाय: मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इसके लिए स्वतन्त्र सूचना दें तो मैं जवाब दे सकता हूं ।

माननीय श्री जगलाल चौधरी: (क) उत्तर स्वीकारात्मक है :

(ख) और (ग) :—कानूनी सलाह जो मिली है उसके अनुसार ये धाराएं विधान के विरुद्ध नहीं हैं ।

THEFT IN THE SECRETARIAT CO-OPERATIVE STORES

†* 208. SHRI DEOKI NANDAN PRASAD: Will the Hon'ble the Chief Minister, be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a theft case occurred at the Secretariat Co-operative Stores, Gardanibagh, recently;

(b) if the reply to claus (a) be in the affirmative, what was the value of property stolen;

(c) what step has been taken by the Police Department to find out the culprits and whether any clue has been found out to trace the offenders ?

† माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में श्री बृजलाल दाकानिया के निवेदन करने पर उत्तर दिया गया ।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय:—

(क) उत्तर हां है ।

(ख) कम्प्लेंट के अनुसार जो चीज चोरी गयी है उसकी कीमत १० हजार ५ सौ रूपया था ।

(ग) अभी यह मामला पुलिस की जांच में है । इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए सरकार ने प्लेन क्लौथ कौंसटेबुल मुकर्रर कर दिया है । इस घटना के बारे में पुलिस अभी तक कोई खबर नहीं ले सकी है ।

पताही थाना ।

* २०९ । श्री झूलन सिंह: क्या माननीय प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) चम्पारन जिले के ढाका थाना को दो भागों में बांटने पर जो पताही थाना कायम हुआ है, उसे क्या किसी दूसरी जगह हटा ले जाने का भी प्रश्न है;

(ख) क्या यह बात सही है कि पताही इस नये थाने के केन्द्र में है, स्वयं भी काफी घनी और प्रतिस्थित स्थान है, और आवागमन के साधनों के विचार से भी काफी सुविधा पूर्ण है;

(ग) यदि खण्ड (ख) का उत्तर हां में है, तो इस नये थाने को इधर-उधर हटाने का क्या कारण है ?

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय:—

(क) ऐसा प्रस्ताव था कि पताही पुलिस स्टेशन को सेबपूरा में ले लिया जाय । मगर चूंकि अभी सरकार को खर्चा में कमी करनी है इसलिए यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुआ है ।

(ख) उत्तर नाकारात्मक है । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस सुपरिनटेण्डेंट दोनों ने लिखकर भेजा है कि सेबपूरा अधिक केन्द्रिय स्थान है पुलिस स्टेशन होने के लायक है ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता है ।

माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय: गवर्नमेण्ट इसकी जांच कर रही है इसलिए इस सवाल का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है । माननीय सदस्य अगर इसको साधारण प्रश्न बना दें तो इस विषय की जांच करने में सरकार को मदद मिले ।

(माननीय सदस्य ने सहमति दे दी)